राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलैक्टर्स सहित)

क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क–2/96 पार्ट।। जयपुर, दिनांक 7 सितम्बर,2007

परिपत्रादेश

विषयः– राज्य सरकार के अधीन की सेवाओं/पदों पर महिलाओं को आरक्षण के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रवर्गानुसार आरक्षण देनें का प्रावधान किया हुआ है, जिसके अनुसार यदि संबंधित प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो वह रिक्तियां आगे के वर्षो में अग्रेषित नहीं कर उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरी जायेगी। महिलाओं हेतु यह आरक्षण दण्डवत (Horizontal) है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेश कुमार बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा हरिओम बनाम राजस्थान लोक सेवा अयोग के प्रकरण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 को निर्णय पारित किया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग से परामर्श कर परीक्षण किया गया। इस संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 31.5.2000 के अतिक्रमण में यह स्पष्ट किया जाता है कि महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण दण्डवत है। दण्डवत तथा लम्बवत (Vertical) में आरक्षणों की प्रकृति तथा गणना के तरीके भिन्न भिन्न हैं। दण्डवत आरक्षण की स्थिति में उस वर्ग के लिये निर्धारित समस्त सीटों के लिये मैरिट के आधार पर सूची तैयार की जानी चाहिये, उसमें जितनी महिला अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर चयनित हुई हों उन्हें महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों के प्रति गिना जाना चाहिये। इस प्रकार मैरिट के आधार पर तैयार सूची में महिलाओं की संख्या यदि उनके लिये आरक्षित सीटों से कम हों तो जितनी संख्या कम है उतने ही अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर तैयार सूची में से सबसे नीचे से कम किये जाकर उनके स्थान पर उस वर्ग की शेष महिला अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर चयनित की जानी चाहिये।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करें।

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

30/2007